दिनांक— 22.07.2019 को 'सक्षम' कार्यालय कक्ष में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग एवं उपकरण के क्रय के दर निर्धारण एवं विशेष उपकरणों के वितरण आदि बिन्दु पर आयोजित क्रय समिति की तृतीय बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः—

1. निदेशक, दिव्यांजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना।
2. संयुक्त सचिव—सह—आंतरिक वित्तीय सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, पटना।
3. संयुक्त निदेशक (मु0), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
4. श्री शंभू रजक, अपर आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना।
5. प्रभारी पदाधिकारी, सी0आर0सी0, पटना।
6. सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना।

सर्वप्रथम दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग एवं उपकरण के क्रय के दर निर्धारण एवं विशेष उपकरणों के वितरण आदि बिन्दु पर दिनांक—22.07.2019 को आहूत बैठक में आगत सभी सदस्यों का स्वागत किया गया है, तत्पश्चात क्रय समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसहमति से निम्न निर्णय लिये गये :—

1. लाभाथियों के मध्य वितरण हेतु सहायक उपकरणों की सूची अंतर्गत कुल 72 कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण (अनुलग्नक—1 में सूचीबद्ध) जिसे एलिमको, कानपुर के द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है उसे क्रय किये जाने हेतु एलिमको, कानपुर को कार्यादेश निर्गत किये जाने पर सहमति बनी। सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय को निदेशित किया गया कि एलिमको, कानपुर को सहायक उपकरणों के क्रय हेतु कार्यादेश निर्गत करने हेतु शीघ्र संचिका उपस्थापित की जाए।
2. लाभाथियों के मध्य वितरण हेतु कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों की सूची अंतर्गत कुल 99 कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण (अनुलग्नक—2 में सूचीबद्ध) जिसे एलिमको, कानपुर के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, उनमें —
   i. कुल 55 कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण, जो मुख्यतः दिव्यांग खिलाड़ियों की आवश्यकता है तथा कुल 25 लाभार्थी जिन्हें विभिन्न श्रेणी के श्रवण यंत्रों की आवश्यकता है, का specification राज्य आयुक्त (दिव्यांगता) की अध्यक्षता में तकनीकी विशेषज्ञों की समिति गठित कर specification का निर्धारण किया जाएगा जिसकी पूर्ण जवाबदेही राज्य आयुक्त (दिव्यांगता) द्वारा गठित समिति की होगी। मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना के तहत कृत्रिम अंग एवं उपकरण के क्रय संबंधी मार्गदर्शिका के बिन्दु (ii) के

अनुपालन हेतु विशिष्ट उपकरणों के specification का निर्धारण किये जाने हेतु गठित समिति में सदस्य के रूप में सी0 आर0 सी0 पटना के एक प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जायेगा। साथ ही प्राप्त specification पर विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर निविदा का प्रकाशन कर सामग्रियों का क्रय किया जाएगा।

ii. कुल 17 मोटराईज स्कुटी, जिसके लिए स्कुटी को बाजार से क्रय कर दिव्यांगजनों के अनुकूल रेट्रो फिटिंग की जाती है। अतएव, दिव्यांगजनों हेतु मोटराईज स्कुटी (स्कुटी + रेट्रो फिटिंग) का क्रय "निविदा आमंत्रित कर" किया जा सकता है, जिसपर अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के स्तर से निर्णय लिये जाने पर सहमति बनी।

iii. कुल 1 लाभार्थी को श्रवण यंत्र प्राप्त करने हेतु BERA Test कराया जाना है। जिसकी जॉच सी0आर0सी0, पटना के स्तर से करायी जा सकती है। लाभार्थी को स्वयं सी0आर0सी0, पटना से जॉच कराने हेतु सहमति बनी तथा इस हेतु लाभार्थी को पत्र द्वारा सूचित किया जाए। (**अनुपालन–** सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय)।

iv. कुल 1 बधिर लाभार्थी जिन्हें Cochlear Implant के पार्टस एवं उसकी बैट्री आदि की आवश्यकता है। बधिर लोगों में Cochlear Implant एक जटिल सर्जरी के माध्यम से किया जाता है एवं राज्य के कुछ प्रमुख चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में इसकी सुविधा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध करायी गई है। उक्त मामला Cochlear Implant एवं उसके पार्टस इत्यादि की मॉग से संबंधित है। अतः इस मामले को स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित किये जाने पर सहमति बनी।

3. विशेष कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण की ऊपरी अधिसीमा का निर्धारण/शत–प्रतिशत देय राशि हेतु अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत ही दिये जाने पर क्रय समिति की सहमति बनी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।

सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना।	प्रभारी पदाधिकारी, सी0आर0सी0, पटना।	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, पटना।	संयुक्त निदेशक (मु0), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना	निदेशक, दिव्यांजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना

com-5/1-2